संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण की आवश्यकता:

- **शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए:** विशेषाधिकारों के संहिताकरण से संसद के सदनों द्वारा विशेषाधिकारों के हनन के संबंध में मनमाने ढंग से निर्णय लेने की शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।
- **मूल अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए:** संहिताकरण के बिना, विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे युक्तियुक्त प्रतिबंधों के बिना संसद में बोलने की निरपेक्ष स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
- **विशेषाधिकारों पर स्पष्टता:** यह उन समुचित सीमाओं को स्पष्टता प्रदान करेगा जिनका सदस्यों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और जिनके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
- **लोकतांत्रिक परंपराओं का सुदृढ़ीकरण:** यह संसद की कार्यवाही पर मीडिया की उचित आलोचना को दबाने की प्रवृत्ति को रोकने और गलत कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सहायता प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई वाद (1998) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि 'रिश्वत लेने वालों' ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के विरुद्ध मतदान किया, क्योंकि विशेषाधिकारों के कारण उन्हें अभियोजन से उन्मुक्ति प्राप्त थी।
- **हितों के संघर्ष को रोकना:** संहिताकरण हितों के संघर्ष को रोकता है, क्योंकि वर्तमान में अध्यक्ष विशेषाधिकारों के हनन के संबंध में शिकायतकर्ता, अधिवक्ता और न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है।

हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मत है कि संहिताकरण **संसद की संप्रभुता को नष्ट कर सकता है**। इसलिए ऐसे तर्क भी दिए गए हैं कि विशेषाधिकारों को यदि संहिताबद्ध किया जाता है तो वे न्यायिक संवीक्षा और निर्वचन के दायरे में आ जाएंगे, जो **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है**।

राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग, प्रथम एवं द्वितीय प्रेस आयोग और भारतीय प्रेस परिषद ने अपनी रिपोर्ट में इन विशेषाधिकारों के संहिताकरण के पक्ष में तर्क दिया है। विशेषाधिकारों को अनिश्चित और अस्पष्ट बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा विधायी कार्यों में समुचित बाधा को रोकने के लिए उनका दुर्लभ परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही, भविष्य में समायोजन की संभावना होनी चाहिए और संसद की संप्रभुता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भारत के लोगों को **वास्तविक आलोचना और जानने का अधिकार प्रदान कर** लोकतांत्रिक संस्था को सशक्त बनाने में एक दीर्घकालिक मार्ग प्रशस्त करेगा।

3. Mention the objectives and composition of the National Human Rights Commission. Also, throw light on its effectiveness.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उद्देश्यों और संरचना का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसकी प्रभावकारिता पर भी प्रकाश डालिए।

दृष्टिकोण:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- इसके उद्देश्यों और संरचना का उल्लेख कीजिए।
- इसकी सफलताओं और सीमाओं को रेखांकित करते हुए इसकी प्रभावकारिता पर चर्चा कीजिए।
- तदनुसार उपयुक्त निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **एक सांविधिक निकाय है** जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** के अंतर्गत की गई थी। यह निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है:

- संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समता और गरिमा से संबंधित **अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन** करना।
- उन **संस्थागत व्यवस्थाओं को सशक्त करना**, जिनके माध्यम से मानव अधिकारों के मुद्दों का अधिक प्रभावी तरीके से समाधान किया जा सके।